**<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>**
**<u>विभाजन वाद संख्या–134/2008</u>**
**<u>CIS NO. PS-195/2018</u>**

ललन सिंह एवं अन्य..........................................................................वादीगण

बनाम

शारदा कुँवर एवं अन्य...................................................................प्रतिवादीगण

**<u>21.01.2021</u>** उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 28.09.2020 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या–9 की ओर से दिनांक 13.10.2020 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से ''नो आब्जेक्शन'' लिखा गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या–11 की मृत्यु दिनांक 16.08.2020 को हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को छोड़ गए है, जो उनके विधिक वारिसान हैं जिन्हें प्रतिवादी संख्या–11 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाय।

इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–9 ने अपने प्रत्युत्तर में कहा है कि वादीगण का आवेदन पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि प्रतिवादी संख्या–11 की मृत्यु के संबंध में कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है। अतः वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–11 की मृत्यु हो गई है, जिसे सभी पक्ष स्वीकार कर रहे हैं तथा वादीगण का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित तथा समय सीमा के तहत दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–11 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात वादीगण प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु अभिलेख 26.02.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)